भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1210
6 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई में दावों की प्रतिपूर्ति में विसंगतियां

1210. श्री संदीपनराव आसाराम भुमरे:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न राज्यों में आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत निजी अस्पतालों के दावों की प्रतिपूर्ति में विलंब और विसंगतियों की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र सहित अहिल्यानागर (अहमदनगर) जिले में एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनल में शामिल सरकारी और निजी अस्पतालों के लंबित दावों की कुल राशि कितनी है;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लंबित भुगतान के कारण निजी अस्पताल धीरे-धीरे एबी -पीएमजेएवाई से हट रहे हैं;
(घ) यदि हां, तो लंबित भुगतान के निपटान में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) इस संबंध में निजी अस्पतालों को देय और पहले ही भुगतान की जा चुकी राशि का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, दावों का निपटान एक नियमित और निर्बाध प्रक्रिया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दावा निपटान दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा दावों का निपटान किया जाता है। अंतर-राज्यीय अस्पतालों (राज्य के भीतर स्थित अस्पताल) के लिए दावा प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर और वहनीय (राज्य के बाहर स्थित अस्पताल) के मामले में 30 दिनों के भीतर अस्पतालों को दावों के भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

(ग) से (ङ): एबी-पीएमजेएवाई के तहत, निजी अस्पतालों का पैनल में शामिल होना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार, 15,733 निजी अस्पतालों सहित 33,270 से अधिक अस्पताल इस योजना के तहत पैनल में शामिल हैं। पैनल में शामिल निजी अस्पतालों की संख्या में क्रमिक वृद्धि नीचे दर्शाई गई है:

वित्तीय वर्ष	पैनलबद्ध निजी अस्पतालों की संख्या
2020-21	5,981
2021-22	7,512
2022-23	9,103
2023-24	12,018
2024-25	14,496
2025-26 (31.12.2025 तक)	15,733

इसके अलावा, दावों की प्रगति का जायजा लेने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। साथ ही, दावों के निपटान के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं।

*****